

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

म0प्र0 के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, भृत्य (कलेक्टर रेट) की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति/विज्ञापन

(अभ्यर्थी पदवर्ग (i), (ii), (iii) में से केवल एक पदवर्ग हेतु ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वांछित अर्हकारी प्रमाणपत्र स्कैन करवाकर संलग्न करना अनिवार्य है ।)

आवेदन करने की अंतिम तिथि	:	27 अक्टूबर, 2016 गुरुवार
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	:	30 अक्टूबर, 2016 रविवार
साक्षात्कार की तिथि	:	10 दिसम्बर, 2016 शनिवार

उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार हेतु ऑनलाईन आवेदन वांछित अर्हकारी प्रमाणपत्रों सहित आमंत्रित किये जाते हैं ।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदनपत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 27.10.2016 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 30.10.2016 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है।

पोर्टल शुल्क—

सभी आवेदकों के लिए रुपये 100/- एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क होगा ।

यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य किया जाता है तो सुधार कार्य के लिए अभ्यर्थी द्वारा एमपीऑनलाईन को ₹ 50/- (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा। यदि कोई भी शिकायत हो तो अभ्यर्थी एमपीऑनलाईन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400-10

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www.mponline.gov.in पर **Authorized Kiosk list Link** देखें । आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।



इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:—

नागरिक सेवाएँ

आवेदक www.mp'online.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज

में क्लिक करें इसके बाद MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात् Application Services में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें ।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले **Advertisement** को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही **Online Apply** करने के लिए **Form** को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के **Link** (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। **Hyperlink** को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्कैन कर **.jpg** फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Browse** बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें ।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक पोर्टल शुल्क के भुगतान के लिये **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2- इंटरनेट बैंकिंग।

3- क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के लिये **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के

उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

4- **इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इन्टरनेट या इन्टरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त **Proceed to Payment** बटन दबायेगा यहां पर उसे इन्टरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

5- **एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-** आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर **एप्लीकेशन** में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को पोर्टल शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

6- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 30.10.2016 (रविवार) रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एम0पी0ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क (50 रुपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।



- 7- यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा पोर्टल शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। पोर्टल शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
- 8- इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 आनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियों भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- 9- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हे आनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। पोर्टल शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बरों पर तत्काल सम्पर्क करें -एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 402026, फोन (0755) 4019400, 4019430

खण्ड "ब"

(1) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	तकनीकी अर्हता
वाहन चालक (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट) प्रवर्ग	कलेक्टर रेट	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेंस
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/भृत्य/चौकीदार/वाटरमेन/माली (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग	कलेक्टर रेट	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	
आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी /स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग	कलेक्टर रेट	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	

टीप :- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक /तकनीकी अर्हतायें आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

पदवर्ग (i) वाहन चालक (आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्रं.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति	योग
1	अलीराजपुर				1	1
2	अनूपपुर	1			2	3
3	बालाघाट	1				1
4	भोपाल	1				1
5	बुरहानपुर	1			1	2
6	देवास	1				1
7	धार	1			1	2
8	मण्डला				2	2
9	मुरैना			1		1
10	मण्डलेश्वर	1				1
11	राजगढ़	1				1
12	रतलाम	1				1
13	रीवा	1				1
14	सागर	1				1
15	सीहोर	1				1
16	शहडोल	1				1
17	सीधी		1			1
18	उज्जैन	1				1
	योग	14	1	1	7	23

पदवर्ग (ii) आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/भृत्य/चौकीदार/वाटरमेन/माली (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्रं.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अ0पि0वर्ग			अनु0जाति			अनु0जनजाति			योग
		सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	सामान्य	महिला	विकलांग	
1	अलीराजपुर										1			1
2	अनूपपुर	4	1		2						3	1		11
3	बैतूल	2			1						1			4
4	भिण्ड	3	1		1									5
5	भोपाल	2			1									3
6	छतरपुर	7	3	1	2	1		3	1		1			19
7	छिन्दवाड़ा	3	2	1	2	1					4	1		14
8	दमोह	2	1		1			2						6
9	दतिया			1										1

[Handwritten Signature]

10	देवास	7	3	1	2	1		2	1		3	1		21
11	धार	3	1								5	2	1	12
12	डिण्डौरी	1									1			2
13	गुना	3	1		1						1			6
14	हरदा	2	1								1			4
15	होशंगाबाद	3	1		1						1			6
16	इंदौर	15	7	1	4	2		1			1			31
17	जबलपुर	2	1		1						1			5
18	झाबुआ										3	1		4
19	खण्डवा				1						1			2
20	कटनी	2	1											3
21	मण्डला										6	2		8
22	मुरैना	4	1	1	2			4	1					13
23	मण्डलेश्वर	2	1	1	1								1	6
24	नीमच	2	1		1									4
25	पन्ना	4	2		1						1		1	9
26	राजगढ़	2	1					1						4
27	रतलाम	4	2		2						1			9
28	रीवा	3	1		1						2			7
29	सागर	5	2	1	2	1		2	1		2		1	17
30	सतना	1												1
31	सीहोर	2	1		1			1			1			6
32	सिवनी	2									2			4
33	शहडोल				1			1			1			3
34	श्यापुर	4	1		2			2			2			11
35	सीधी	2	1		1			1						5
36	सिंगरौली-बैढ़न	4	1		1			2			1			9
37	टीकमगढ़	1			1									2
38	उज्जैन	2	1		1			1						5
39	विदिशा	1												1
	योग	106	40	8	38	6	-	23	4	-	47	8	4	284

पदवर्ग (iii) आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग के पदों की आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्रं	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित		अ0पि0वर्ग		अनु0जाति		अनु0जनजाति		योग
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	अनूपपुर					1		2	1	4
2	बैतूल					1		1		2
3	भिण्ड					1				1
4	छिन्दवाड़ा	1				2				3

[Handwritten Signature]

5	देवास					2				2
6	धार			3	1					4
7	ग्वालियर	2								2
8	हरदा							1		1
9	होशंगाबाद					1				1
10	झाबुआ							1		1
11	मण्डला							2	1	3
12	मुरैना					2				2
13	मण्डलेश्वर					2		2	1	5
14	पन्ना					2	1			3
15	रायसेन	2	1							3
16	रतलाम					1				1
17	रीवा					1				1
18	शहडोल							1		1
19	विदिशा	1								1
	योग	6	1	3	1	16	1	10	3	41

नोट :- मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत पद एवं महिलाओं का आरक्षण समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाइज) है।

(2) आयु की गणना :-

दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी 3-11/12/1/3, भोपाल दि. 03 नवम्बर, 2012 एवं परिपत्र क्र. सी 3-11/2012/3/एक, भोपाल दि. 20 नवम्बर, 2012 के अनुसार) निम्नानुसार होगी :-

1. पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग) = 40 वर्ष
2. पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल स्वशासीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) = 45 वर्ष
3. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0) = 45 वर्ष
4. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) = 45 वर्ष
5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) = 45 वर्ष
6. महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा) = 45 वर्ष
7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनु0जाति/अनु0जनजाति/अ0पि0वर्ग0) = 45 वर्ष

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



(3) साक्षात्कार (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) :- (30 अंक)

प्रवेश पत्र :- साक्षात्कार हेतु प्रवेशपत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा साक्षात्कार तिथि के लगभग 10 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

साक्षात्कार के समय जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय में समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार यदि निर्धारित दिनांक को पूर्ण नहीं हो सके तो वे लगातार अगले दिन भी लिये जायेंगे।

(4) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :-

(1) अभ्यर्थी पदवर्ग क्रमांक (i), (ii) एवं (iii) में से केवल एक पदवर्ग हेतु तथा सिर्फ एक न्यायिक जिला स्थापना हेतु ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग तथा एक से अधिक न्यायिक जिला स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन/आवेदनों पर कहीं भी विचार नहीं किया जावेगा।

(2) अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(3) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

(क) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।


(ग) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(4) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।



- (5) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि चयन परीक्षा निःशुल्क है । अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए सिर्फ एम0पी0 ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 100/- लिये जा रहे हैं, इस कारण साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी आरक्षित श्रेणी (अ0पि0वर्ग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति) के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा ।
- (6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय है ।
- (7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है ।
- (8) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को होगी ।
- (9) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी ऑनलाइन आवेदनपत्र प्रस्तुत करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी ।
- (10) आरक्षित प्रवर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति एवं अ0पि0वर्ग) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/1, दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1, दिनांक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी ।
- (11) विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले ऑनलाइन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- (12) साक्षात्कार हेतु स्वीकृत और निरस्त किये गये ऑनलाइन आवेदनों की सूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2016 मंगलवार को संबंधित जिला न्यायालय के सूचना पटल एवं उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी ।
- (13) साक्षात्कार परीक्षा यथासंभव एक ही दिनांक को व एक ही समय में प्रदेश के सभी संबंधित जिला मुख्यालयों पर एक साथ आयोजित होगी, साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाइन द्वारा जारी किया जावेगा । वैसे सूचना प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
- (14) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें ।


(मनोहर ममतानी)
रजिस्ट्रार जनरल